बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांकः— मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)—40 / 2025 - 1689 / पटना, दिनांक— 05/05/2025

प्रेषक,

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषयः— **योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के गोपालगंज जिलान्तर्गत, कार्य प्रमंडल, हथुआ के अधीन विजयनगर प्रखंड के "Proposed High Level RCC Bridge Across River at Chhitauna Ghat in Mushahari to Ahiyapur Path Under Vijaypur Block in the District of Gopalganj (Bihar)." पुल निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत बिहार राज्य के गोपालगंज जिलान्तर्गत, कार्य प्रमंडल, हथुआ के अधीन विजयनगर प्रखंड के "Proposed High Level RCC Bridge Across River at Chhitauna Ghat in Mushahari to Ahiyapur Path Under Vijaypur Block in the District of Gopalganj (Bihar)." पुल निर्माण योजना जिसकी कुल लम्बाई 68.48 मी० के निर्माण की राशि ₹ 703.150 लाख रुपये, अनुरक्षण की राशि ₹ 11.790 लाख रुपये एवं कंटिजेंसी की राशि ₹ 15.820 लाख रुपये कुल राशि ₹ 730.760 लाख रुपये (सात करोड़ तीस लाख छिहत्तर हजार रुपया) मात्र है— हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2025—26 एवं 2026—27 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्य प्रमंडल, हथुआ के कार्यपालक अभियंता इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रामों पर पूँजीगत परिव्यय —103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)—उपशीर्ष, विषय शीर्ष 5301 जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024—25 मे उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

Sh

5. इस योजना के निर्माण की राशि, कटिजेंसी की राशि एवं भूमि अधिग्रहण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 4515 एवं अनुरक्षण की राशि का व्यय योजना शीर्ष 3054 से भारित होगा।
6. योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रामों पर पूँजीगत परिव्यय–103–ग्राम विकास–राज्य योजना–0105–ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना)–उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025–26 में 991.00 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
7. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हथुआ द्वारा योजना का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह के पाँच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर एवं मुख्य अभियंता–5 के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हथुआ यह सुनिश्चित करेगें कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
9. इस योजना के चयन के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या–मु०अ०–4(मु०)रा०यो०–07–11/2023 के पृष्ठ संख्या–72/प० पर रक्षित है।
10. स्थायी वित्त समिति के अनुशंसोपरांत इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार माननीय विभागीय मंत्री महोदय द्वारा संचिका संख्या मु०अ०(नि०) रा०यो०(नाबार्ड)–40/2025 के पृष्ठ संख्या–21–20/प० एवं 11/टि० पर प्राप्त है।
11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहाकार की सहमति संचिका संख्या मु०अ०(नि०) रा०यो०(नाबार्ड)–40/2025 के पृष्ठ संख्या– 17/टि० पर दिनांक 30.04.25 को प्राप्त है।
12. ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी की जाएगी।
13. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, हथुआ (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यो का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कार्यान्वित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे।
14. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाएगी।
15. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
16. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाएगा।
17. संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक 03.12.2024 की कंडिका 17 के आलोक में स्वीकृत्यादेश निर्गत करने की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगी।
18. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जाएगा एवं कार्यो को ससमय तथा गुणवत्तापूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जाएगा।

योजना के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में सभी निरीक्षी प्राधिकारी भी उत्तरदायी माने जाएगें।

19. वित्त विभाग के पत्रांक–770, दिनांक 20.09.2011 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDF के अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही ऋण स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाय।

20. इस योजना हेतु वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक 31.05.2017 के कंडिका 10 के आलोक में राशि की विमुक्ति उदव्यय/बजट उपबंध के पश्चात् ही की जा सकेगी।

विश्वासभाजन

(उज्ज्वल कुमार सिंह)
विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)–40/2025-1689 /पटना, दिनांक–05/05/2025

प्रतिलिपिः– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)–40/2025 -1689 /पटना, दिनांक–05/05/2025

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव

ज्ञापांकः– मु०अ०(नि०)रा०यो०(नाबार्ड)–40/2025 -1689 /पटना, दिनांक– 05/05/2025

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग(आय–व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–सचिव, ब्राडा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता–5, ग्रामीण कार्य विभाग, मुजफ्फरपुर प्रक्षेत्र/मुख्य अभियंता (निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण), ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुजफ्फरपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, मुजफ्फरपुर पूर्वी–2/आई०टी० नोडल, ग्रामीण कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव